

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट) लीकडी

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार(आर०ए०एस०)  
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

करण संख्या / / 2018

दायर दि० 12-5-18  
फैसल दि० 18-5-18

श्री लक्ष्मी गति लाल  
(वादी) लीकडी

अनवान  
बनाम भूमिधारी तहसीलदार  
(प्रतिवादी) सागवाडा

वादी श्री लक्ष्मी / लाल ने वाद प्रस्तुत कर  
लीकडी के खाता नम्बर 200 जमाबन्दी सं० 2072-75  
में अंकित स्वयं/पिता का नाम गुरु / लाल  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मी  
लाल शंकर है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम  
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।  
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम लक्ष्मी लाल शंकर  
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/मलियाकोट को आदेश दिया  
जाता है कि मोजा लीकडी की जमाबन्दी संवत् 2072-75 के  
संख्या 200 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम  
गुरु / लाल में संशोधन कर सही नाम  
गुरु / लाल दर्ज रेकार्ड किया जावे ।  
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा